फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 10/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.04.2022	

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः सू0अ0/2022/172–73 दिनांक 04.02.2022 से अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना हेतु संबंधित तहसीलदार को पत्रांकः 133 दिनांक 01.02.2022 से तहरीर जारी की गई है। तहसीलदार, राजसमंद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना बिन्दुवार तैयार कर प्रार्थी को चाही गई सूचना के संबंध में जरिये डाक द्वारा पत्रांकः आर.टी.आई./22/202 – 203 दिनांक 22.02.2022 एवं आवेदन पत्रानुसार दूरभाष द्वारा भी सूचित किया गया। अपीलार्थी द्वारा बावजूद सूचना के तैयार सूचना कार्यालय से प्राप्त नहीं की गई है।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमंद के द्वारा अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार तैयार कर प्राप्ति हेतु जरिये डाक द्वारा पत्रांकः आर.टी.आई./22/202–203 दिनांक 22.02.2022 एवं आवेदन पत्रानुसार दूरभाष द्वारा भी सूचित किया गया। अपीलार्थी द्वारा बावजूद सूचना के तैयार सूचना तहसील कार्यालय, राजसमंद से प्राप्त नहीं की है। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार तहसील कार्यालय, राजसमंद से प्राप्त करें।

अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलांट एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद तथा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, राजसमंद को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय जिला कलक्टर

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द